

Non Encumbrance Certificate issued to S.R. Enterprises

of Mangro 112, Poch, Dist. No. 305122 dt 31.5.2023

NON ENCUMBRANCE

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

आवेदन पत्र संख्या 2608/2023

प्रमाण पत्र संख्या 172/2023

चूंकि श्री S Arival Kumar Advoca ने मेरे पास आवेदन

किया है कि निम्नलिखित S Sujata Dny & Subarna Dny

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणिका में ता. 01/10/2023 to 2.6.2023

से ता. तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। नशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधारों का पता नहीं चला है। प्रमाणित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण पत्र तैयार किया।

हस्ताक्षर-
02/06/23

पदनाम-

Clue.

जिला अवर निबन्धक कोषी लक्ष्मण
पडविलाय के आडवारा के
अनु क्रमगणिया (ईन्डेक्स) क्रमांक
जा 01-01-1993 के 02.06.2023 13

श्री सुनल कुमार शर्मा
पडविलाय एन० 518100) इलाहाबाद

तलाशी का सत्यापन ऋणधार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की

हस्ताक्षर-
02/06/23

पदनाम-

Clue.

कृष्ण नारायण शर्मा के पास चला
के मौजा पडविलाय के ई (00.1061)
5, N.W-16 मसला इंगरी के
खाना 00 86 और 00 363
रकम 7.185 + 7.185 = 014.370 57
जमीन 510 कोषी लक्ष्मण के कोषी लक्ष्मण के
पुबिलि नरेंद्र काकाशर है।
आवेदक श्री नारायण शर्मा
जानकारी के अर्थ में प्रमाणित
पु. निबन्धक के आडवारा के
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

श्री सुनल कुमार शर्मा
पडविलाय



02/06/23
जिला अवर निबन्धक
पु. निबन्धक, आडवारा

तारीख 02.6.2023

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों का उल्लेख नहीं दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रान्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमगणियों (ईन्डेक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा उन्हें विनिर्दिष्ट सापत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमगणियों की उनके सामने रख दी जायगी।
(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने पर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी गूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दूँडे गये संव्यवहार और अवधारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूँडे गये ऐसे संव्यवहार और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ ता हो।